



# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

## हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

वीरवार, 11 सितम्बर, 2025 / 20 भाद्रपद, 1947

हिमाचल प्रदेश सरकार

**HIMACHAL PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION, SHIMLA**

**Vidyut Aayog Bhawan, Block-37, SDA Complex, Kasumpti, Shimla-171 009**

NOTIFICATION

*Shimla, the 10th September, 2025*

**No. HPERC/151-Vol-III-2081.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 92 and sub-section (2) of section 181 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), read with  
126—राजपत्र / 2025—11—09—2025 (5665)

section 21 of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), and all other powers enabling it in this behalf, the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission, after previous publication, hereby makes the following Regulations to amend the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Conduct of Business) Regulations, 2024, namely:—

## REGULATIONS

**1. Short title and commencement.**—(1) These Regulations may be called the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Conduct of Business) (Amendment) Regulations, 2025.

(2) These Regulations shall come into force from the date of their publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

**2. Amendment of Regulation 2.**—In Regulation 2 of the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Conduct of Business) Regulations, 2024 (hereinafter referred to as the “Principal Regulations”), in clause (e), after the words “Regulatory Commission”, the words “and includes the Chairperson” shall be inserted.

**3. Amendment of Regulations 6.**—In Regulations 6 of the Principal Regulations, in sub-regulation (3), for the word “Chairperson”, the word “Commission” shall be substituted.

**4. Amendment of Regulations 7, 8 and 14.**—In Regulations 7, 8 and 14 of the Principal Regulations, for the word “Chairperson” wherever it occurs, the word “Commission” shall be substituted; and in sub-regulation (2) of Regulation 7, clauses (a) to (f) shall be renumbered as clauses (a) to (g).

**5. Amendment of Regulation 19.**—In Regulation 19 of the Principal Regulations, in sub-regulation (7) and in proviso to sub-regulation (10), the words “of the Commission” shall be omitted.

**6. Amendment of Schedule.**—In the Schedule to the Principal Regulations, after Sr. No. 20, the following Sr. No. 21 shall be added, namely:—

|      |                                                                  |                                                             |            |
|------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|
| “21. | Adjudication of disputes under the Energy Conservation Act, 2001 | Section 27 of the Energy Conservation Act, 2001 & CBR 1(4). | 50,000/-”. |
|------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|

By order of the Commission,

Sd/-  
Secretary.

## HOME DEPARTMENT

### NOTIFICATION

*Shimla-2, the 11th September, 2025*

**No. Home-B(B)15-10/2006.**—In continuation of this department’s Notification No. Home-B(B)15-10/2006 dated 27-07-2015 and in exercise of powers vested under sub-section 1 of the

Section 14 of The Bhartiya Nagrik Suraksha Sanhita, 2023 in him, The Governor, Himachal Pradesh is pleased to further delegate the powers of Executive Magistrate upon the Naib-Tehsildar, presently posted in Sugam Centre Shimla for attestation of affidavits, forms, certificates and other documents of the general public within the local limits of Tehsil Shimla (Urban & Rural) with immediate effect.

By order,

Sd/-

*Additional Chief Secretary (Home).*

**In the Court of Sh. Sanjeet Singh, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,  
Hamirpur (H.P.)**

In the matter of :

1. Sh. Naresh Kumar s/o Sh. Puran Chand, r/o Village Tapre, Post Office Tauni Devi, Tehsil Bamson at Tauni Devi, District Hamirpur (H.P.)-170 023.

2. Smt. Vinu d/o Sh. Om Parkash, r/o V.P.O. Zamanabaad, Tehsil & District Kangra (H.P.)-176 001  
..Applicants.

*Versus*

General Public

Subject.— Notice for Registration of Marriage.

Sh. Naresh Kumar and Smt. Vinu have filed an application u/s 5 of Special Marriages Act, 1954 alongwith affidavits and supporting documents before the court of undersigned in which they have stated that they intend to solemnize their marriage within next three calendar months.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person having any objection regarding this marriage may file his/her objection personally or in writing before this court on or before 30-09-2025. In case no objection is received by 30-09-2025, it will be presumed that there is no objection to the registration of the above said marriage and the same will be registered accordingly.

Issued under my hand and seal of the court on 29-08-2025.

Seal.

Sd/-

*Marriage Officer-cum-SDM,  
Sub-Division Hamirpur, District Hamirpur (H.P.).*

**In the Court of Executive Magistrate/Naib Tehsildar, Bhoranj,  
Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H.P.)**

Ms. Vimla d/o Sh. Sarwan Singh, r/o Village Sahlwin, P.O. Dera Parol, Tehsil Bhoranj,  
District Hamirpur, (H.P.). .. *Applicant.*

*Versus*

General Public .. *Respondent.*

Sub: — *Application u/s 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.*

As per office letter number HFW-HMR (ST B & D) Del. -2024/1-16272 dated 18-07-2025 of District Register Birth and Death Hamirpur, the application of Vimla d/o Sh. Sarwan Singh, r/o Village Sahlwin, P.O. Dera Parol, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur, (H.P.). was received in this office along with the relevant records and affidavit. In which it is mentioned that she was born on 01-01-1966 however, the registration of the said birth could not be registered in the record of Gram Panchayat Dhanwan. The applicant now wants to get the above mentioned date of birth registered in Gram Panchayat Dhanwan. Therefore, through this notice the general public is intimated that if anyone has any objection regarding registration of the date of birth of Ms. Vimla d/o Sh. Sarwan Singh, r/o Village Sahlwin, P.O. Dera Parol, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H.P.). as 01-01-1966 in the record of Gram Panchayat Dhanwan, he/she can present his/her objection by appearing in this court. In case of non-appearance, unilateral action will be implemented and further action will be taken.

Given under my hand and seal of the court on this 19th day of August, 2025.

Seal.

Sd/-

*Executive Magistrate,  
Bhoranj, District Hamirpur (H.P.).*

**In the Court of Executive Magistrate/Naib Tehsildar, Bhoranj,  
Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H.P.)**

Ms. Roopan Devi d/o Sh. Balkhu Ram, r/o V.P.O. & Tehsil Bhoranj, District  
Hamirpur (H.P.) .. *Applicant.*

*Versus*

General Public .. *Respondent.*

Sub: — *Application u/s 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.*

As per office letter number HFW-HMR (ST B & D) Del. -2024/1-16696 dated 24-07-2025 of District Register Birth and Death Hamirpur, the application of Roopan Devi d/o Sh. Balkhu

Ram, r/o V.P.O. & Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H.P.) was received in this office along with the relevant records and affidavit. In which it is mentioned that she was born on 01-04-1967 however, the registration of the said birth could not be registered in the records of Gram Panchayat Bhoranj. The applicant now wants to get the above mentioned date of birth registered in Gram Panchayat Bhoranj. Therefore, through this notice the general public is intimated that if anyone has any objection regarding registration of the date of birth of Ms. Roopan Devi d/o Sh. Balkhu Ram, r/o V.P.O. & Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H.P.) as 01-04-1967 in the record of Gram Panchayat Bhoranj, he/she can present his/her objection by appearing in this court. In case of non-appearance, unilateral action will be implemented and further action will be taken.

Given under my hand and seal of the court on this 2nd day of September, 2025.

Seal.

Sd/-

*Executive Magistrate,  
Bhoranj, District Hamirpur (H.P.).*

**In the Court of Sh. Vikash Shukla, H.A.S., Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,  
Sujaanpur, Distt. Hamirpur (H. P.)**

In the matter of :

1. Akshay Kumar age 33 years s/o Sh. Sansar Chand, r/o Village Bhatara, P.O. Jol Lambri, Tehsil Sujaanpur, District Hamirpur (H.P.).

2. Isha Rana age 28 years d/o Sh. Suneel Rana, r/o Village Galian, P.O. Barram Khurd, Tehsil Jaisinghpur, District Kangra (H.P.).

*.. Applicants.*

*Versus*

The General Public

*.. Respondent.*

*Application for the registration of marriage under section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by Marriage Laws (Amendment Act 01, 49 of 2001).*

Akshay Kumar age 33 years s/o Sh. Sansar Chand, r/o Village Bhatara, P.O. Jol Lambri, Tehsil Sujaanpur, District Hamirpur (H.P.). and Isha Rana age 28 years d/o Sh. Suneel Rana, r/o Village Galian, PO Barram Khurd, Tehsil Jaisinghpur, District Kangra (H.P.). have filed an application alongwith affidavits in this court under section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by the Marriage Laws (Amendment Act 01, 49 of 2001) that they have solemnized their marriage ceremony on 22-10-2023 at village Galian, P.O. Barram Khurd, Tehsil Jaisinghpur, Distt Kangra (H.P.) as per Hindu Rites and Customs and they are living together as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objections personally or in writing before this court on or before 23-10-2025. After that no objections will be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 29-08-2025 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

*Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,  
Sujaanpur, Distt. Hamirpur (H.P.).*

**In the Court of Naib Tehsildar-cum-Executive Magistrate, Raja Ka Talab,  
Distt. Kangra (H.P.)**

File No./NTEH/2025

Date of Institution: 20-07-2023

Case Titled: Registration of Death

Sh. Ramesh Chand s/o Late Sh. Bani Ram, r/o Village and P.O. Gurial, Sub-Tehsil Raja Ka Talab, Distt. Kangra (H.P.).

*Versus*

General Public

Notice to the General Public.

Whereas, Sh. Ramesh Chand s/o Late Sh. Bani Ram, r/o Village and P.O. Gurial, Sub-Tehsil Raja Ka Talab, Distt. Kangra (H.P.). has filed an application before the undersigned that date of death of his Grand mother is 19-12-1973 but due to ignorance and lack of knowledge it has not been entered in the concerned Gram Panchayat Register. He has further stated that he wants to get it registered in Gram Panchayat Gurial, Sub-Tehsil Raja Ka Talab.

The applicant has attached non-availability certificate, recommendation of Additional Distt. Registrar (Birth & Death)-cum-Medical Officer of Health, Kangra at Dharamshala. Affidavit of two witnesses namely Sh. Rajesh Sharma s/o Sh. Shiv Charan, r/o Ward No. 8, Tehsil Nurpur, Distt. Kangra, (H.P.) & Sh. Rattan Singh s/o Chuhan Singh, r/o Village Kopra, Tehsil Nurpur, Distt. Kangra, (H.P.) have been attached in support of his claim.

Now, therefore, in pursuance of section 13(3) of the Registration of Birth & Death Act, 1969 a proclamation to all general public concerned is hereby issued that objections in this regard *i.e.* to enter the date of death of Smt. Mahanti Devi w/o Late Sh. Gaianda Ram shall be heard by the undersigned on 29-09-2025 in his court at Raja Ka Talab. Anyone having any objection in the matter may do so on the said date and place in person or through legal practitioner or his/her recognized agent. In case non-appearance, the proceedings will continue *ex-parte* and necessary action in this matter will be taken accordingly as per law.

Given under my hand and seal of the court on 29-08-2025.

Seal.

Sd/-

*Naib Tehsildar-cum-Executive Magistrate,  
Raja Ka Talab, Distt. Kangra (H.P.).*

**In the Court of Naib Tehsildar-cum-Executive Magistrate, Raja Ka Talab,  
Distt. Kangra (H.P.)**

File No./NTEH/2025

Date of Institution: 27-08-2025

Case Titled: — Registration of Birth

Arushi d/o Sh. Rakesh Kalia, r/o Village Sakri, P.O. Rehan, Sub-Tehsil Raja Ka Talab, Distt. Kangra (H.P.).

*Versus*

General Public

Notice to the General Public.

Whereas, Arushi d/o Sh. Rakesh Kalia, r/o Village Sakri, P.O. Rehan, Sub-Tehsil Raja Ka Talab, Distt. Kangra (H.P.). has filed an application before the undersigned that date of birth of Arushi is 12-09-2002 but due to ignorance and lack of knowledge it has not been entered in the concerned Gram Panchayat Register. She has further stated that he wants to get it registered in Gram Panchayat Hatpang, Sub-Tehsil Raja Ka Talab.

The applicant has attached non-availability certificate, recommendation of Additional Distt. Registrar (Birth & Death)-cum-Medical Officer of Health Kangra at Dharamshala. Affidavit of two witnesses namely Smt. Sunita Devi w/o Sh. Jagdish Chand, r/o Village Sakri, P.O. Rahan, Sub-Tehsil Raja Ka Talab, Distt. Kangra (H.P.). & Sh. Krishan Dev s/o Sohan Lal, r/o Village Sakri, P.O. Rahan, Sub-Tehsil Raja Ka Talab, Distt. Kangra (H.P.). have been attached in support of his claim.

Now, therefore, in pursuance of section 13(3) of the Registration of Birth & Death Act, 1969 a proclamation to all general public concerned is hereby issued that objections in this regard *i.e.* to enter the date of birth of Arushi d/o Sh. Rakesh Kalia shall be heard by the undersigned on 29-09-2025 in his court at Indora. Anyone having any objection in the matter may do so on the said date and place in person or through legal practitioner or his/her recognized agent. In case non-appearance, the proceedings will continue *ex-parte* and necessary action in this matter will be taken accordingly as per law.

Given under my hand and seal of the court on 29-08-2025.

Seal.

Sd/-

*Naib Tehsildar-cum-Executive Magistrate,  
Raja Ka Talab, Distt. Kangra (H.P.).*

**In the Court of Sh. Kartar Chand, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate  
Shahpur, Distt. Kangra (H.P.)**

1. Sh. Vivek Singh Katoch s/o Sh. Janak Singh, Village Thamba, P.O. Durgella, Tehsil Shahpur, Distt. Kangra (H.P.).

2. Smt Himani d/o Sh. Pawan Kumar, Village and P.O. Khukher, Tehsil Nurpur, Distt. Kangra (H.P.)

*.. Applicants.*

*Versus*

1. General Public
2. Local Registrar, Gram Panchyat Durgella. . Respondents.

*Subject.—Application for the Marriage Registration u/s 8 of Registration of Marriage Act, 1996.*

Sh. Vivek Singh Katoch s/o Sh. Janak Singh, Village Thamba, P.O. Durgella, Tehsil Shahpur, Distt. Kangra (H.P.). and Smt Himani d/o Sh. Pawan Kumar, Village and P.O. Khukher, Tehsil Nurpur, Distt. Kangra (H.P.) has filed an application u/s 8 of Registration of Marriage Act, 1996 along with declaration in which they have stated that they have solemnized their marriage on 18-02-2025 at Village and P.O. Khukher, Tehsil Nurpur, Distt. Kangra (H.P.) as per Hindu rites & customs.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding the registration of this marriage can file an objection personally or in writing before this court on or before 03-10-2025. After that no objection will be entertained and marriage will be registered accordingly.

Seal.

KARTAR CHAND,  
Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,  
Shahpur, Distt. Kangra (H.P.).

**ब अदालत श्री दीपक शर्मा कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार फतेहपुर,  
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)**

श्री हंस राज पुत्र करतार सिंह, गांव भटेकी, डाकघर सुनहारा, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता फरीकदोयम।

प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत धमेटा में जन्म पंजीकरण करने बारे।

श्री हंस राज पुत्र करतार सिंह, गांव भटेकी, डाकघर सुनहारा, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने अदालत हजा में एक प्रार्थना—पत्र बाबत ग्राम पंचायत भाटिया के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के तहत अपनी जन्म तिथि दर्ज करने बारे गुजारा है। प्रार्थी ने निवेदन किया है कि उसका जन्म 02-01-1971 को हुआ है परन्तु ग्राम पंचायत धमेटा के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में जन्म तिथि नियमानुसार समय पर पंजीकृत नहीं करवाई गई है। इसलिए अब ग्राम पंचायत धमेटा को जन्म पंजीकरण करने के आदेश दिये जायें।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी का नाम व जन्म तिथि पंजीकरण करने बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 27-09-2025 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज लिखित रूप में पेश करें। अन्यथा प्रार्थी

का जन्म पंजीकृत करने बारा आदेश पारित कर दिया जायेंगे। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 10-03-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार फतेहपुर,  
फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री दीपक शर्मा सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार फतेहपुर,  
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

श्रीमती सुमना कुमारी विधवा जगदीश सिंह, निवासी गांव भेरता, डा0 व तहसील फतेहपुर, जिला  
कांगड़ा (हि0प्र0) प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

फरीकदोयम।

प्रार्थना—पत्र बाबत नाम दुरुस्ती जेर धारा 37(2) हि0प्र0 भू—राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत करने बारा।

प्रार्थिया श्रीमती सुमना कुमारी विधवा जगदीश सिंह, निवासी गांव भेरता, डा0 व तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने निवेदन किया है कि उनका नाम आधार कार्ड, पैन कार्ड में सुमना कुमारी है व उनके बेटे का नाम आधार कार्ड में नमनदीप सिंह जोकि सही है लेकिन उनका नाम महाल भेरता के राजस्व रिकार्ड में सुमन कुमारी व बेटे का नाम नमनदीप दर्ज है जोकि गलत है साथ ही जिसे प्रार्थिया उपरोक्त अभिलेख के अनुसार सुमन कुमारी विधवा जगदीश सिंह की जगह सुमना कुमारी विधवा जगदीश सिंह व नमनदीप की जगह नमनदीप सिंह पुत्र जगदीश सिंह दुरुस्त करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थिया उक्त व उसके बेटे के नाम को दुरुस्त करने बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 27-09-2025 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज लिखित रूप में पेश करें। अन्यथा प्रार्थिया का नाम दुरुस्त करने बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 27-08-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,  
तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री दीपक शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार फतेहपुर,  
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

श्री हमीद मुहम्मद पुत्र मलेक दीन पुत्र किहरू उपनाम करीम वक्श, गांव वनाल, तहसील फतेहपुर,  
जिला कांगड़ा (हि0प्र0) प्रार्थी।

## बनाम

आम जनता

... फरीकदोयम।

विषय.—महाल खुखनियाडा में जाति दुरुस्ती करने बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा प्रार्थी श्री हमीद मुहम्मद पुत्र मलेक दीन पुत्र किहरो उपनाम करीम वक्श, गांव वनाल, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने अदालत हजा में एक प्रार्थना—पत्र बाबत जाति दुरुस्ती करने बारा गुजारा है। उनके पूर्वजों के मुताबिक शजरा नस्ब टीका वनाल, मौजा वरोट में जाति जुलाह उप—जाति रुघियाल दर्ज है। प्रार्थी जिसे महाल खुखनियाडा, तहसील फतेहपुर के राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी की जाति को दर्ज करने बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 30-09-2025 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज लिखित रूप में पेश करें। अन्यथा प्रार्थी की जाति उपरोक्त महाल में दर्ज करने बारे आदेश पारित कर दिया जायेंगे। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 27-08-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार फतेहपुर,  
फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

-----

ब अदालत श्री दीपक शर्मा, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार फतेहपुर,  
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : /नाम दुरुस्ती/2025

तारीख पेशी :

श्री अरुण पठानिया पुत्र श्री संसार सिंह पुत्र छलको, निवासी गांव वडियाली, डा0 सुनहारा तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ... प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

... फरीकदोयम।

प्रार्थना—पत्र बाबत नाम दुरुस्ती जेर धारा 37(2) हि0प्र0 भू—राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत करने बारा।

प्रार्थी श्री अरुण पठानिया पुत्र श्री संसार सिंह पुत्र छलको, निवासी गांव वडियाली, डा0 सुनहारा तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने अदालत हजा में एक प्रार्थना—पत्र गुजारा है कि उसका नाम उसके आधार कार्ड, पैन कार्ड, ग्राम पंचायत रिकार्ड, बैंक रिकार्ड में अरुण पठानिया दर्ज है जबकि राजस्व रिकार्ड महाल वडियाली, तहसील फतेहपुर में नाम अरुण कुमार दर्ज है। अरुण कुमार व अरुण पठानिया एक ही व्यक्ति के दो नाम हैं। प्रार्थी ने निवेदन किया है कि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम अरुण कुमार उर्फ अरुण पठानिया दर्ज किया जाए। इस आशय की पुष्टि में प्रार्थी ने प्रार्थना—पत्र के साथ जमाबन्दी महाल वडियाली 2020-21 व अपना पैन कार्ड की छायाप्रति व ब्यान हल्फी संलग्न किया है।

अतः सर्वसाधारण द्वारा हर आम व खास को प्रार्थी के आवेदन बराए दुरुस्ती नाम राजस्व रिकार्ड सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को प्रार्थी के आवेदन के प्रति कोई आपत्ति है तो वह भीतर एक माह असागतन व वकालतन इस कार्यालय में हाजिर आकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। अन्यथा प्रार्थी का नाम दुरुस्त करने बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समागत न होगा।

आज दिनांक 28-08-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,  
तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री दीपक शर्मा, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार फतेहपुर,  
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

श्री रमेश चन्द पुत्र निक्का राम, निवासी गांव सिहोली, डा0 खटियाड, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

फ्रीकदोयम।

प्रार्थना—पत्र बाबत नाम दुरुस्ती जेर धारा 37(2) हि0प्र0 भू—राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत करने बारा।

प्रार्थी श्री रमेश चन्द पुत्र निक्का राम, निवासी गांव सिहोली, डा0 खटियाड, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने निवेदन किया है कि उसका नाम आधार कार्ड, स्कूल प्रमाण—पत्र में रमेश चन्द पुत्र निक्का राम दर्ज है जोकि सही है लेकिन उसका नाम महाल सिहोली के राजस्व रिकार्ड में रमेश लाल पुत्र निक्का दर्ज है जोकि गलत है जिसे प्रार्थी उपरोक्त अभिलेख के अनुसार रमेश लाल पुत्र निक्का की जगह रमेश चन्द पुत्र निक्का राम दुरुस्त करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी उक्त के नाम को दुरुस्त करने बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 30-09-2025 को प्रातः 10.00 बजे असागतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज लिखित रूप में पेश करें। अन्यथा प्रार्थी का नाम दुरुस्त करने बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समागत न होगा।

आज दिनांक 29-08-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,  
तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

**ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी धर्मशाला,  
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)**

किस्म मुकद्दमा: तकसीम

तारीख पेशी: 24-09-2025

सुमित कुमार

बनाम

इश्वर दास आदि

प्रतिवादी श्री इश्वर दास, प्रशोतम, सुरेश पुत्रान और श्रीमती संध्या देवी, कांता देवी, श्रीमती लज्जा देवी पुत्रियां एवं विदया देवी पत्नी स्व0 प्रभु पुत्र बिशम्बर, श्री सुरिंदर कुमार पुत्र एवं श्रीमती मंशा देवी पत्नी स्व0 परमा पुत्र बिशम्बर, श्री प्रथिया और चौकस पुत्रान व श्रीमती लम्बरू पत्नी स्व0 बिशम्बर पुत्र मंगल, श्री अश्वनी कुमार पुत्र छांगा पुत्र बिशम्बर, श्री बलदेव सिंह और नरदेव सिंह पुत्रान व राधा देवी पुत्री एवं श्रीमती लीला देवी पत्नी स्व0 जगदीश चन्द पुत्र सूरमा, जाती राम पुत्र व छानको देवी एवं श्रीमती लौहकी देवी पुत्रियां सूरमा पुत्र दीवाना, निवासी गांव पटोला (ठेहड़), डा0 खनियारा और श्री आत्मा राम पुत्र बांका, निवासी लिब्रेरी नजदीक खड़ा डंडा रोड Near Delek Hospital, Dharamshala एवं श्रीमती झुज्जू उपनाम बदामो पूर्ति बांका पुत्र सुखिया, निवासी गिर योल, डा0 पद्म जद्रांगल, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा के भूमि खाता नं0 89, खतौनी नं0 244, ता 249, खसरा कित्ता 26, रकबा तादादी 0-66-78, वाक्या उप-महाल धर्मकोट मौजा व तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, जमाबन्दी 2019-20 की तकसीम करने हेतु इस अदालत में प्रार्थी श्री सुमित कुमार पुत्र रमेश चन्द पुत्र कपूरा राम ने प्रार्थना-पत्र पेश किया है जिसमें उपरोक्त प्रतिवादीगण पक्ष को समन साधारण तरीका से तामील नहीं हो पा रहे हैं। इसीलिए इस अदालती इशतहार अखबार के माध्यम से उपरोक्त प्रतिवादियों को सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 24-09-2025 को सुबह 11.00 बजे इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होवें अन्यथा गैर हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 28-08-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

**ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी धर्मशाला,  
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)**

किस्म मुकद्दमा: तकसीम

तारीख पेशी: 24-09-2025

तारिका

बनाम

उमेश कुमार आदि

प्रतिवादी श्रीमती लज्जा देवी पत्नी स्व0 अनिरुद्ध उपनाम दीना नाथ, मनोज कुमार पुत्र, सुरेखा देवी, रेखा देवी, सलोचना देवी पुत्रियां दासो उपनाम राम दास पुत्र डिगती, बैसो और गुड्डी पुत्रियां डिगती पुत्र जौहरी, करतार सिंह और औंकार सिंह पुत्रान एवं निम्नो, रीना पुत्रियां व श्रीमती चार्जु देवी पत्नी स्व0 अमर

सिंह पुत्र डिगती, श्री ओम प्रकाश पुत्र और घौनी देवी पुत्री व श्रीमती गंगा देवी पत्नी स्व० नाथू राम पुत्र जौहरी, श्री देश राज और राजेश पुत्र एवं श्रीमती भोटा देवी पुत्री नाथू, श्री राजेश कुमार पुत्र जगता पुत्र भंडारी, श्री सुभाष कुमार पुत्र नन्द लाल पुत्र बौहरी, निवासी गांव भागसुनाथ, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा के भूमि खाता नं० 19, खतौनी नं० 75, ता 78, खसरा कित्ता 41, रकबा तादादी 5126.56 वर्ग मीटर वाक्या उप-महाल भागसुनाथ, मौजा व तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, जमाबन्दी 2016-17 की तकसीम करने हेतु इस अदालत में प्रार्थिया श्रीमती तारिका पत्नी संदीप कुमार पुत्र सतपाल ने प्रार्थना-पत्र पेश किया है जिसमें उपरोक्त प्रतिवादीगण पक्ष को समन साधारण तरीका से तामील नहीं हो पा रहे हैं। इसीलिए इस अदालती इशतहार अखबार के माध्यम से उपरोक्त प्रतिवादियों को सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 24-09-2025 को सुबह 11.00 बजे इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर हों अन्यथा गैर हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 28-08-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला,  
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)

मुकद्दमा नं० : 347/NT/25

Usha Devi d/o Late Sh. Sant Ram, r/o Village Dharamkot, P.O. Bhagsunag, Tehsil Dharamshala, Distt. Kangra (H.P.).

*Versus*

General Public

विषय.—प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 37(2) हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के तहत नाम दुरुस्ती करने बारे।

नोटिस बनाम आम जनता।

Usha Devi d/o Late Sh. Sant Ram, r/o Village Dharamkot, P.O. Bhagsunag, Tehsil Dharamshala, Distt. Kangra (H.P.) ने इस अदालत में शपथ पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि मेरा नाम सीना देवी है। Usha Devi *alias* Seena Devi एक ही व्यक्ति के नाम हैं। यदि किसी को नाम दुरुस्त/पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 15-10-2025 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ एवं पेश किए गए दस्तावेजों के मुताबिक नाम दुरुस्त/पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 28-08-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)।

**In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sundernagar,  
District Mandi (H. P.)**

In the matter of :

1. Sh. Gayan Chand s/o Sh. Bhagat Ram, r/o Village Luhanu, P.O. Bayla, Tehsil Sundernagar, Distt. Mandi (H.P.), age 50 years.
2. Kanta Devi d/o Sh. Hirdu Ram, r/o Village Barto, P.O. Bayla, Tehsil Sundernagar, District Mandi (H.P.), age 45 years at present w/o Sh. Gayan Chand s/o Sh. Bhagat Ram, r/o Village Luhanu, P.O. Bayla, Tehsil Sundernagar, Distt. Mandi (H.P.) . . *Applicants.*

*Versus*

General Public

. . *Respondent.*

Subject.—Application for the registration of marriage under section 15 of Special Marriage Act.

Gayan Chand and Kanta Devi have filed an application along with affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage according to Hindu rites and ceremonies on dated 11-05-1996 and they are living together as husband and wife since then, hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 01-10-2025. After that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 01-09-2025 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

*Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,  
Sundernagar, District Mandi (H.P.).*

**In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Rampur Bushahr, District Shimla (H.P.)**

In the matter of :

- Yog Raj s/o Sh. Ganbhir Chand, r/o Village Majholi, P.O. Surad, Tehsil Nankhari, District Shimla, Himachal Pradesh . . *Applicant.*

*Versus*

General Public

. . *Respondent.*

PROCLAMATION REGARDING CORRECTION OF NAME

Whereas, the above named applicant has submitted an application for the correction of his son's name from "PRITAK S/O YOG RAJ" to "PRATEEK KAITH S/O YOG RAJ" in the records of the "AADHAR" Card and all other relevant documents associated with the applicant.

Now, therefore, objections are invited from the general public that if anyone has any objection regarding change of his son's name as "PRATEEK KAITH S/O YOG RAJ" in place of PRITAK S/O YOG RAJ, they should appear before the undersigned on or before 12-09-2025 either personally or through their authorized agent/pleader.

In the event of their failure to do so, order shall be passed *ex-parte* without affording any further opportunity of being heard.

Issued today on 23rd day of the August, 2025 under my hand and seal of the Court.

Seal.

Sd/-  
(HARSH AMRENDER SINGH, HAS),  
Sub-Divisional Magistrate,  
Rampur Bushahr, District Shimla (H.P.).

**In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Rampur Bushahr, District Shimla (H.P.)**

In the matter of :

Priyanka Gupta s/o Sh. Harish Gupta, r/o Village and P.O. Nogli, Tehsil Rampur Bushahr,  
District Shimla, Himachal Pradesh . . Applicant.

*Versus*

General Public

. . Respondent.

**PROCLAMATION REGARDING CORRECTION OF NAME**

Whereas, the above named applicant has submitted an application for the correction of her name from "PRIYAKA GUPTA D/O HARISH GUPTA" to "PRIYANKA GUPTA D/O HARISH GUPTA" in the records of the "AADHAR" Card and all other relevant documents associated with the applicant.

Now, therefore, objections are invited from the general public that if anyone has any objection regarding change of her name as "PRIYANKA GUPTA D/O HARISH GUPTA" in place of PRIYAKA GUPTA D/O HARISH GUPTA, they should appear before the undersigned on or before 29-08-2025 either personally or through their authorized agent/pleader.

In the event of their failure to do so, order shall be passed *ex-parte* without affording any further opportunity of being heard.

Issued today on 27th day of the August, 2025 under my hand and seal of the Court.

Seal.

Sd/-  
(HARSH AMRENDER SINGH, HAS),  
Sub-Divisional Magistrate,  
Rampur Bushahr, District Shimla (H.P.).

**In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Rampur Bushahr, District Shimla (H.P.)**

In the matter of :

Smt. Saina Devi w/o Sh. Krishan Dutt, r/o Village Jarind, P.O. Dhar-Gaura, Tehsil Rampur Bushahr, District Shimla, Himachal Pradesh . . Applicant.

*Versus*

General Public . . Respondent.

**PROCLAMATION REGARDING CORRECTION OF NAME**

Whereas, the above named applicant has submitted an application for the correction of her name from "SAIN DEVI W/O KISHAN DUTT" to "SAINA DEVI W/O KRISHAN DUTT" in the records of the "AADHAR" Card and all other relevant documents associated with the applicant.

Now, therefore, objections are invited from the general public that if anyone has any objection regarding change of her name as "SAINA DEVI W/O KRISHAN DUTT" in place of SAIN DEVI W/O KISHAN DUTT, they should appear before the undersigned on or before 29-08-2025 either personally or through their authorized agent/pleader.

In the event of their failure to do so, order shall be passed *ex-parte* without affording any further opportunity of being heard.

Issued today on 27th day of the August, 2025 under my hand and seal of the Court.

Seal.

Sd/-  
(HARSH AMRENDER SINGH, HAS),  
Sub-Divisional Magistrate,  
Rampur Bushahr, District Shimla (H.P.).

**In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Rampur Bushahr, District Shimla (H.P.)**

In the matter of :

Indra Devi w/o Sh. Gopal Dev, r/o Village Lalsa, P.O. Dansa, Tehsil Rampur Bushahr, District Shimla, Himachal Pradesh . . Applicant.

*Versus*

General Public . . Respondent.

**PROCLAMATION REGARDING CORRECTION OF NAME**

Whereas, the above named applicant has submitted an application for the correction of her name from "INDRA DEVI W/O GOPAL DEV" to "INDIRA DEVI W/O GOPAL DEV" in the records of the "AADHAR" Card and all other relevant documents associated with the applicant.

Now, therefore, objections are invited from the general public that if anyone has any objection regarding change of her name as "INDIRA DEVI W/O GOPAL DEV" in place of INDRA DEVI W/O GOPAL DEV, they should appear before the undersigned on or before 29-08-2025 either personally or through their authorized agent/pleader.

In the event of their failure to do so, order shall be passed *ex-parte* without affording any further opportunity of being heard.

Issued today on 28th day of the August, 2025 under my hand and seal of the Court.

Seal.

Sd/-  
(HARSH AMRENDER SINGH, HAS),  
Sub-Divisional Magistrate,  
Rampur Bushahr, District Shimla (H.P.).

**In the Court of the Sub-Divisional Magistrate, Rampur Bushahr, District Shimla (H.P.)**

In the matter of :

Sh. Sailg Ram s/o Lt. Shiv Ram, r/o Village Paljara, P.O. Bahli, Sub-Tehsil Taklech, District Shimla, H.P., presently residing at 161, Aliganj, Kotla Mubarkpur, South Delhi-110003  
..Applicant.

*Versus*

General Public

.. Respondent.

*Application under section 13(3) of Birth and Death Registration Amendment Act, 2023.*

WHEREAS, an application under Section 13(3) of the registration of Birth and Death Amendment Act, 2023 has been submitted by the above named applicant Sh. Sailg Ram, seeking registration of the birth of his daughter Ms. Tripti, born on 17-08-1991 at Safdarjang Hospital, New Delhi, in his parivar register of Gram Panchayat Bahli, Development Block Rampur, District Shimla, Himachal Pradesh.

And whereas, the applicant has stated that at the time of birth of his daughter, he and his wife Smt. Mimmi Devi were residing and working outside the state in Delhi, and due to unavoidable circumstances and lack of awareness about the statutory requirements, the said birth was not registered with the Registrar-cum-Secretary (Birth & Death) within the prescribed period. Now, the applicant has requested to condon the delay of the registration of their daughter name in Pariwar Register and necessary order be pass, so that their daughter name could be registered by the concerned authority.

NOW, THEREFORE, through this proclamation, objections are hereby invited from the general public. If anyone has any objection regarding to entry of name and birth of Ms. Tripti, (D.O.B. 17-08-1991) in the Pariwar register with applicant in Gram Panchayat Bahli, they should appear before the undersigned on or before 10-09-2025 either personally or through their

authorized agent/pleader. In the event of their failure to do so, order shall be passed *ex-parte* without affording any further opportunity of being heard.

Given under my hand and seal of the Court on this 11th day of August, 2025.

Seal.

Sd/-  
(HARSH AMRENDER SINGH), HAS  
Sub-Divisional Magistrate,  
Rampur Bushahr, District Shimla (H.P.).

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

केस नं0 : /2025

श्रीमती प्रितो देवी पुत्री गुलजारी, निवासी बायेंकुंआ, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थिया श्रीमती प्रितो देवी पुत्री गुलजारी, निवासी बायेंकुंआ, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का एक आवेदन पत्र मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन के पत्र एचएफडब्ल्यू-एन/एसटी/बीएण्डडी/डिले केसिस/2024-5156, दिनांक 19-09-2024 द्वारा अनुलग्नक क्रमशः अपना ब्यान हल्फी, दो गवाहन ब्यान हल्फी, आधार कार्ड सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है, जिसमें प्रार्थिया द्वारा प्रार्थना की है कि उसकी स्वयं की जन्म तिथि 25-10-1974 है, जिसका इन्द्राज अज्ञानतावश प्रार्थिया ग्राम पंचायत जामनीवाला के जन्म अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सकी हैं जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 01-10-2025 को प्रातः 11.00 बजे या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस पर अदालत हजा स्थित पांवटा साहिब में असालतन या वकालतन हाजिर आकर उजर/एतराज दर्ज करा सकता है। निर्धारित तिथि या इससे पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में श्रीमती प्रितो देवी पुत्री गुलजारी, निवासी बायेंकुंआ, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) के प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 01-09-2025 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / -  
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,  
तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

**ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)**

केस नं0 : /2025

श्रीमती पुष्पा देवी पुत्री जयमल, निवासी टोकानगला, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

प्रार्थना—पत्र जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थिया श्रीमती पुष्पा देवी पुत्री जयमल, निवासी टोकानगला, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का एक आवेदन पत्र मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन के पत्र एचएफडब्ल्यू—एन/एसटी/बीएण्डडी/डिले केसिस/2025—4855, दिनांक 16—07—2025 द्वारा अनुलग्नक क्रमशः अपना ब्यान हल्फी, दो गवाहन ब्यान हल्फी, आधार कार्ड सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है, जिसमें प्रार्थिया द्वारा प्रार्थना की है, कि उसकी स्वयं की जन्म तिथि 10—02—1982 है, जिसका इन्द्राज अज्ञानतावश प्रार्थिया ग्राम पंचायत कुन्डियों के जन्म अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सकी है जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 27—09—2025 को प्रातः 11.00 बजे या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस अदालत हजा स्थित पांवटा साहिब में असालतन या वकालतन हाजिर आकर उजर/एतराज दर्ज करा सकता है। निर्धारित तिथि या इससे पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में श्रीमती पुष्पा देवी पुत्री जयमल, निवासी टोकानगला, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) के प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 27—08—2025 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,  
तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

**ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)**

केस नं0 : /2025

श्रीमती नजमा पुत्री यामीन, निवासी मेहरूवाला, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

प्रार्थना—पत्र जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थिया श्रीमती नजमा पुत्री यामीन, निवासी मेहरूवाला, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का एक आवेदन पत्र मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन के पत्र

एचएफडब्ल्यू-एन/एसटी/बीएण्डडी/डिले केसिस/2025-4856, दिनांक 16-07-2025 द्वारा अनुलग्नक क्रमशः अपना ब्यान हल्फी, दो गवाहन ब्यान हल्फी, आधार कार्ड सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है जिसमें प्रार्थिया द्वारा प्रार्थना की है, कि उसकी स्वयं की जन्म तिथि 13-09-1988 है, जिसका इन्द्राज अज्ञानतावश प्रार्थिया ग्राम पंचायत भगानी के जन्म अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सकी है जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 27-09-2025 को प्रातः 11.00 बजे या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस पर अदालत हजा स्थित पांवटा साहिब में असालतन या वकालतन हाजिर आकर उजर/एतराज दर्ज करा सकता है। निर्धारित तिथि या इससे पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में श्रीमती नजमा पुत्री यामीन, निवासी मेहरूवाला, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) के प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 27-08-2025 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-  
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,  
तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

**ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)**

केस नं० : /2025

श्रीमती साजिदा पुत्री सितार अली, निवासी टोकानगला, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थिया श्रीमती साजिदा पुत्री सितार अली, निवासी टोकानगला, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का एक आवेदन पत्र मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन के पत्र एचएफडब्ल्यू-एन/एसटी/बीएण्डडी/डिले केसिस/2025-3350, दिनांक 16-06-2025 द्वारा अनुलग्नक क्रमशः अपना ब्यान हल्फी, दो गवाहन ब्यान हल्फी, आधार कार्ड सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है जिसमें प्रार्थिया द्वारा प्रार्थना की है कि उसकी स्वयं की जन्म तिथि 10-10-1987 है, जिसका इन्द्राज अज्ञानतावश प्रार्थिया ग्राम पंचायत कुण्डियों के जन्म अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सकी है जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 26-09-2025 को प्रातः 11.00 बजे या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस पर अदालत हजा स्थित पांवटा साहिब में असालतन या वकालतन हाजिर आकर उजर/एतराज दर्ज करा सकता है। निर्धारित तिथि या इससे पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में श्रीमती साजिदा पुत्री सितार अली, निवासी टोकानगला, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) के प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 26-08-2025 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,  
तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

केस नं0 : /2025

श्री निर्मल सिंह पुत्र अर्जुन सिंह, निवासी शिवपुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

प्रार्थना—पत्र जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थी श्री निर्मल सिंह पुत्र अर्जुन सिंह, निवासी शिवपुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का एक आवेदन पत्र मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन के पत्र एचएफडब्ल्यू—एन/एसटी/बीएण्डडी/डिले केसिस/2025-5557, दिनांक 31-07-2025 द्वारा अनुलग्नक क्रमशः अपना ब्यान हल्फी, दो गवाहन ब्यान हल्फी, आधार कार्ड सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है, जिसमें प्रार्थी द्वारा प्रार्थना की है कि उसकी माता जी जिनका नाम श्रीमती जोगेन्द्र कौर पत्नी अर्जुन सिंह है, की मृत्यु तिथि 25-11-2022 है, जिसका इन्द्राज अज्ञानतावश प्रार्थी ग्राम पंचायत शिवपुर के मृत्यु अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सका हैं जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 26-09-2025 को प्रातः 11.00 बजे या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस पर अदालत हजा स्थित पांवटा साहिब में असालतन या वकालतन हाजिर आकर उजर/एतराज दर्ज करा सकता है। निर्धारित तिथि या इससे पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में श्रीमती जोगेन्द्र कौर पत्नी अर्जुन सिंह, निवासी शिवपुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) के प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 26-08-2025 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,  
तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

केस नं0 : /2025

श्रीमती अंजलि पुत्री पप्पू सिंह, निवासी भाटावाली, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थिया श्रीमती अंजलि पुत्री पप्पू सिंह, निवासी भाटावाली, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का एक आवेदन पत्र मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन के पत्र एचएफडब्ल्यू-एन/एसटी/बीएण्डडी/डिले केसिस/2025-5558, दिनांक 31-07-2025 द्वारा अनुलग्न क्रमशः अपना ब्यान हल्फी, दो गवाहन ब्यान हल्फी, आधार कार्ड सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है जिसमें प्रार्थिया द्वारा प्रार्थना की है कि उसकी स्वयं की जन्म तिथि 31-12-1999 है, जिसका इन्द्राज अज्ञानतावश प्रार्थिया ग्राम पंचायत भाटावाली के जन्म अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सकी हैं जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 26-09-2025 को प्रातः 11.00 बजे या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस पर अदालत हजा स्थित पांवटा साहिब में असालतन या वकालतन हाजिर आकर उजर/एतराज दर्ज करा सकता है। निर्धारित तिथि या इससे पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में श्रीमती अंजलि पुत्री पप्पू सिंह, निवासी भाटावाली, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) के प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 26-08-2025 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,  
तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

केस नं0 : / 2025

श्रीमती अखतरी पुत्री फकिरिया, निवासी भगानी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थिया श्रीमती अखतरी पुत्री फकिरिया, निवासी भगानी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का एक आवेदन पत्र मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन के पत्र एचएफडब्ल्यू-एन/एसटी/बीएण्डडी/डिले केसिस/2025-4368, दिनांक 05-07-2025 द्वारा अनुलग्न क्रमशः अपना ब्यान हल्फी, दो गवाहन ब्यान हल्फी, आधार कार्ड सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है जिसमें प्रार्थिया द्वारा प्रार्थना की है कि उसकी स्वयं की जन्म तिथि 01-07-1964 है, जिसका इन्द्राज अज्ञानतावश प्रार्थिया ग्राम पंचायत भगानी के जन्म अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सकी है जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 26-09-2025 को प्रातः 11.00 बजे या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस पर अदालत हजा स्थित पांवटा साहिब में असालतन या वकालतन हाजिर आकर उजर/एतराज दर्ज करा सकता है। निर्धारित तिथि या इससे पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में श्रीमती अखतरी पुत्री फकिरिया, निवासी भगानी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) के प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 26-08-2025 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,  
तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

**ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)**

केस नं0 : /2025

श्री अरशद अली पुत्र अबदुल वाहीद, निवासी पुरुवाला कांशीपुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थी श्री अरशद अली पुत्र अबदुल वाहीद, निवासी पुरुवाला कांशीपुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का एक आवेदन पत्र मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन के पत्र एचएफडब्ल्यू-एन/एसटी/बीएण्डडी/डिले केसिस/2025-5760, दिनांक 05-08-2025 द्वारा अनुलग्नक क्रमशः अपना ब्यान हल्फी, दो गवाहन ब्यान हल्फी, आधार कार्ड सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है, जिसमें प्रार्थी द्वारा प्रार्थना की है कि उसकी स्वयं की जन्म तिथि 08-06-2002 है, जिसका इन्द्राज अज्ञानतावश प्रार्थी का इन्द्राज ग्राम पंचायत पुरुवाला के जन्म अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सका हैं जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 26-09-2025 को प्रातः 11.00 बजे या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस पर अदालत हजा स्थित पांवटा साहिब में असालतन या वकालतन हाजिर आकर उजर/एतराज दर्ज करा सकता है। निर्धारित तिथि या इससे पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में श्री अरशद अली पुत्र अबदुल वाहीद, निवासी पुरुवाला कांशीपुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) के प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 26-08-2025 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,  
तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

**ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)**

केस नं0 : /2025

श्री रणदीप बग्गा पुत्र हरबंस लाल बग्गा, निवासी बेहडेवाला, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

प्रार्थना—पत्र जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थी श्री रणदीप बग्गा पुत्र हरबंस लाल बग्गा, निवासी बेहडेवाला, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का एक आवेदन पत्र मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन के पत्र एचएफडब्ल्यू—एन/एसटी/बीएण्डडी/डिले केसिस/2025—5762, दिनांक 05—08—2025 द्वारा अनुलग्नक क्रमशः अपना ब्यान हल्फी, दो गवाहन ब्यान हल्फी, आधार कार्ड सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है, जिसमें प्रार्थी द्वारा प्रार्थना की है कि उसके दादा जी जिनका नाम बलवन्त सिंह बग्गा है की मृत्यु तिथि 03—11—1997 है, जिसका इन्द्राज अज्ञानतावश प्रार्थी ग्राम पंचायत अमरकोट के मृत्यु अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सका हैं जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 26—09—2025 को प्रातः 11.00 बजे या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस पर अदालत हजा स्थित पांवटा साहिब में असालतन या वकालतन हाजिर आकर उजर/एतराज दर्ज करा सकता है। निर्धारित तिथि या इससे पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में बलवन्त सिंह बग्गा पुत्र राम लाल बग्गा, निवासी बेहडेवाला, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) के प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 26—08—2025 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,  
तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

**ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)**

केस नं0 : /2025

श्री गीता राम पुत्र नैन सिंह, निवासी आगरों, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

प्रार्थना—पत्र जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थी श्री गीता राम पुत्र नैन सिंह, निवासी आगरों, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का एक आवेदन पत्र मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन के पत्र

एचएफडब्ल्यू-एन/एसटी/बीएण्डडी/डिले केसिस/2025-3743, दिनांक 21-06-2025 द्वारा अनुलग्नक क्रमशः अपना ब्यान हल्फी, दो गवाहन ब्यान हल्फी, आधार कार्ड सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है, जिसमें प्रार्थी द्वारा प्रार्थना की है कि उसकी पुत्री जिसका नाम विधांशी है की जन्म तिथि 23-10-2021 है, जिसका इन्द्राज अज्ञानतावश प्रार्थी ग्राम पंचायत भरली के जन्म अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सका हैं जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 26-09-2025 को प्रातः 11.00 बजे या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस पर अदालत हजा स्थित पांवटा साहिब में असालतन या वकालतन हाजिर आकर उजर/एतराज दर्ज करा सकता है। निर्धारित तिथि या इससे पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में विधांशी पुत्री गीता राम पुत्र नैन सिंह, निवासी आगरों, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) के प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 26-08-2025 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,  
तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

**ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)**

केस नं0 : /2025

श्री सीता राम पुत्र पुन्नु, निवासी खोडोंवाला, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थी श्री सीता राम पुत्र पुन्नु, निवासी खोडोंवाला, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का एक आवेदन पत्र मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन के पत्र एचएफडब्ल्यू-एन/एसटी/बीएण्डडी/डिले केसिस/2025-11374, दिनांक 15-02-2025 द्वारा अनुलग्नक क्रमशः अपना ब्यान हल्फी, दो गवाहन ब्यान हल्फी, आधार कार्ड सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है, जिसमें प्रार्थी द्वारा प्रार्थना की है कि उसकी स्वयं की जन्म तिथि 23-11-1985 है, जिसका इन्द्राज अज्ञानतावश प्रार्थी ग्राम पंचायत गोरखवाला के जन्म अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सका है जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 26-09-2025 को प्रातः 11.00 बजे या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस पर अदालत हजा स्थित पांवटा साहिब में असालतन या वकालतन हाजिर आकर उजर/एतराज दर्ज करा सकता है। निर्धारित तिथि या इससे पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में सीता राम पुत्र पुन्नु, निवासी खोडोंवाला, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) के प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 26-08-2025 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,  
तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

केस नं0 : /2025

श्री सुनीत पाल पुत्र फूल सिंह, निवासी पुरुवाला कांशीपुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

प्रार्थना—पत्र जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थी श्री सुनीत पाल पुत्र फूल सिंह, निवासी पुरुवाला कांशीपुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का एक आवेदन पत्र मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन के पत्र एचएफडब्ल्यू—एन/एसटी/बीएण्डडी/डिले केसिस/2025-3742, दिनांक 21-06-2025 द्वारा अनुलग्न क्रमशः अपना ब्यान हल्फी, दो गवाहन ब्यान हल्फी, आधार कार्ड सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है, जिसमें प्रार्थी द्वारा प्रार्थना की है कि उसकी स्वयं की जन्म तिथि 15-12-1972 है, जिसका इन्द्राज अज्ञानतावश प्रार्थी ग्राम पंचायत पुरुवाला के जन्म अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सका हैं जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 26-09-2025 को प्रातः 11.00 बजे या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस पर अदालत हजा स्थित पांवटा साहिब में असालतन या वकालतन हाजिर आकर उजर/एतराज दर्ज करा सकता है। निर्धारित तिथि या इससे पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में सुनीत पाल पुत्र फूल सिंह, निवासी पुरुवाला कांशीपुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) के प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 26-08-2025 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,  
तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

केस नं0 : /2025

श्री शहजाद अली पुत्र सितार अली, निवासी टोकानगला, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थी श्री शहजाद अली पुत्र सितार अली, निवासी टोकानगला, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का एक आवेदन पत्र मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन के पत्र एचएफडब्ल्यू-एन/एसटी/बीएण्डडी/डिले केसिस/2025-3349, दिनांक 16-06-2025 द्वारा अनुलग्नक क्रमशः अपना ब्यान हल्फी, दो गवाहन ब्यान हल्फी, आधार कार्ड सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है, जिसमें प्रार्थी द्वारा प्रार्थना की है कि उसकी स्वयं की जन्म तिथि 16-07-1985 है, जिसका इन्द्राज अज्ञानतावश प्रार्थी ग्राम पंचायत कुन्डियों के जन्म अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सका है जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 26-09-2025 को प्रातः 11.00 बजे या इससे पूर्व किसी भी दिन कार्य दिवस में अदालत हजा स्थित पांवटा साहिब में अदालतन या वकालतन हाजिर आकर उजर/एतराज दर्ज करा सकता है। निर्धारित तिथि या इससे पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में शहजाद अली पुत्र सितार अली, निवासी टोकानगला, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) के प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 26-08-2025 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,  
तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

केस नं० : /2025

श्री फौजी राम पुत्र परमानंद, निवासी सुरजपुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थी श्री फौजी राम पुत्र परमानंद, निवासी सुरजपुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का एक आवेदन पत्र मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन के पत्र एचएफडब्ल्यू-एन/एसटी/बीएण्डडी/डिले केसिस/2025-4369, दिनांक 05-07-2025 द्वारा अनुलग्नक क्रमशः अपना ब्यान हल्फी, दो गवाहन ब्यान हल्फी, आधार कार्ड सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है, जिसमें प्रार्थी द्वारा प्रार्थना की है कि उसकी स्वयं की जन्म तिथि 01-07-1956 है, जिसका इन्द्राज अज्ञानतावश प्रार्थी ग्राम पंचायत पातलियों के जन्म अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सका है जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 26-09-2025 को प्रातः 11.00 बजे या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस पर अदालत हजा स्थित पांवटा साहिब में असालतन या वकालतन हाजिर आकर उजर/एतराज दर्ज करा सकता है। निर्धारित तिथि या इससे पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में फौजी राम पुत्र परमानंद, निवासी सुरजपुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) के प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 26-08-2025 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,  
तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

समक्ष श्री सुरेश कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार ददाहू,  
जिला सिरमौर (हि0प्र0)

मिसल नं0 : 11/13(3) of 2024

मजरूआ : 06-08-2025

तारीख पेशी : 29-09-2025

प्रार्थी श्री रमेश कुमार पुत्री श्री बेसू, निवासी गांव चाड़ना, डाकघर एवं पंचायत भाटगढ़, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

दरखास्त बराये जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 जेरे धारा 13(3)।

प्रार्थी श्री रमेश कुमार पुत्री श्री बेसू, निवासी गांव चाड़ना, डाकघर एवं पंचायत भाटगढ़ तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत एक आवेदन जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु)/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला सिरमौर स्थित नाहन के पत्र क्रमांक HFW-N/B&D/Delayed cases/2025-5552, दिनांक 31-07-2025 को अदालत हजा में दरखास्त गुजार कर दावा किया है कि प्रार्थी अपने पुत्र निखिल की जन्म तिथि 02-10-2023 ग्राम पंचायत भाटगढ़ में दर्ज करवाना चाहता है। प्रार्थी के पुत्र निखिल का जन्म ग्राम पंचायत भाटगढ़ में घर पर ही हुआ था, लेकिन लापरवाही व अज्ञानतावश वह आज दिन उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत भाटगढ़ में दर्ज न करवा सके। जिसे नियमानुसार दर्ज किया जाना उचित व आवश्यक है।

जन्म दर्ज मौजूदा मामले में प्रार्थी के उपरोक्त दावों के संदर्भ में प्रार्थी के सभी सगे-सम्बन्धियों एवं आम जनता को इस इशतहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि उक्त दुरुस्ती मामले में किसी भी प्रकार की आपत्ति व एतराज दर्ज करने बारे दिनांक 29-09-2025 को कार्यकारी दण्डाधिकारी ददाहू द्वितीय श्रेणी के समक्ष असालतन या वकालतन पेश होवें अन्यथा मामले में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 28-08-2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
सुरेश कुमार,  
कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

**In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Rajgarh, District Sirmaur, Himachal Pradesh**

Neeraj Kumar s/o Sh. Satya Pal, r/o Village Kulath, Post Office & Tehsil Rajgarh, District Sirmaur, H.P.

and

Mamta Kumari d/o Sh. Karan Lal, r/o Village Shirguli, Post Office Balsan, Tehsil Theog, District Shimla, H.P.

*Versus*

General Public, the above-named applicant has preferred an application supported by an affidavit stating that :

Whereas, Shri Neeraj Kumar s/o Sh. Satya Pal, r/o Village Kulath, Post Office & Tehsil Rajgarh, District Sirmaur, H.P. has submitted an application alongwith affidavits from himself and his wife, stating that he solemnized his marriage with Mamta Kumari d/o Sh. Karan Lal, r/o Village Shirguli, Post Office Balsan, Tehsil Theog, District Shimla, H.P. as per Hindu rites and customs at home on 18-02-2018, in the presence of his relatives. He has requested that his marriage be registered in the records of Gram Panchayat Bohal Taliya, Tehsil Rajgarh, District Sirmaur, H.P.

Notices are hereby issued to all concerned and the general public. If anyone has any objection regarding the registration of the marriage solemnized between Shri Neeraj Kumar, aged 34 years and Smt. Mamta Kumari, aged 26 years they must file their written objections and appear personally or through an authorized representative before the undersigned on or before 02-10-2025.

Failing this, it will be presumed that there are no objections and necessary orders will be issued to the Secretary, Gram Panchayat Bohal Taliya, Tehsil Rajgarh, District Sirmaur, H.P., for registration of the marriage.

Given under my hand and seal of the court today on 02-09-2025.

Seal.

Sd/-  
Sub-Divisional Magistrate,  
Rajgarh , District Sirmaur (H.P.).

---

**In the Court of Sub-Divisional Magistrate-cum-Marriage Officer, Kasauli,  
District Solan, H.P.**

1. Sh. Prakash Chand aged 43 years D.O.B. 07-11-1981, s/o Sh. Dolat Ram, r/o Village Chamon, P.O. Gaighat, Parwanoo, Tehsil Kasauli, Distt. Solan, H.P.

2. Smt. Meena aged 28 years D.O.B. 15-02-1996, d/o Sh. Tek Singh, r/o Village Chainthon, P.O. Pratha, Tehsil Kasauli, Distt. Solan, H.P.

---

*Versus*

General Public

**Notice u/s 15 of the Special Marriage Act, 1954.**

An application under section 15 of the Special Marriage Act, 1954 has been received in this court from Sh. Prakash Chand aged 43 years D.O.B. 07-11-1981, s/o Sh. Dolat Ram r/o Village Chamon, P.O. Gaighat, Parwanoo, Tehsil Kasauli, District Solan, H.P.(Bride groom) and Smt. Meena aged 28 years D.O.B. 15-02-1996 d/o Sh. Tek Singh, r/o Village Chainthon, P.O. Pratha, Tehsil Kasauli, District Solan, H.P. for the registration of their marriage u/s 15 of the Special Marriage Act, 1954. The applicants have further declared in their affidavits dated 05-07-2025 that they have solemnized their marriage with each other on 16-05-2017. Before taking further action in the said application, objections from the general public are invited for the registration of this marriage. The objections in this regard should reach this court on or before 29-09-2025, failing which the marriage shall be got registered as per the provisions of the law.

Issued on 30-08-2025 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

(MAHENDER PRATAP SINGH, HAS),  
*Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,*  
*Kasauli, District Solan (H. P.).*

---

**In the Court of Sub-Divisional Magistrate-cum-Marriage Officer, Kasauli,  
District Solan, H.P.**

1. Sh. Kulwant Singh aged 30 years D.O.B. 28-06-1995, s/o Sh. Kewal Ram, r/o Village Sheel Pargana, P.O. Dhart, Tehsil Kasauli, District Solan, H.P.

2. Smt. Monika aged 25 years D.O.B. 06-10-1999 d/o Sh. Rajinder Singh, r/o Village Haripur, Tehsil Baddi, District Solan, H.P.

*Versus*

General Public

**Notice u/s 15 of the Special Marriage Act, 1954**

An application under section 15 of the Special Marriage Act, 1954 has been received in this court from Sh. Kulwant Singh aged 30 years D.O.B. 28-06-1995, s/o Sh. Kewal Ram r/o Village Sheel Pargana, P.O. Dhart, Tehsil Kasauli, Distt. Solan, H.P. (Bride groom) and Smt. Monika aged 25 years D.O.B. 06-10-1999, d/o Sh. Rajinder Singh, r/o Village Haripur, Tehsil Baddi Distt. Solan, H.P. for the registration of their marriage u/s 15 of the Special Marriage Act, 1954. The

applicants have further declared in their affidavits dated 04-08-2025 that they have solemnized their marriage with each other on 13-02-2025. Before taking further action in the said application, objections from the general public are invited for the registration of this marriage. The objections in this regard should reach this court on or before 29-09-2025 failing which the marriage shall be got registered as per the provisions of the law.

Issued on 30-08-2025 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-  
(MAHENDER PRATAP SINGH, HAS),  
*Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,*  
*Kasauli, District Solan (H. P.).*

---

**In the Court of Sub-Divisional Magistrate-cum-Marriage Officer, Kasauli,  
District Solan, H.P.**

1. Sh. Satish Kumar aged 48 years D.O.B. 30-04-1977, s/o Sh. Durga Ram, r/o Village Sujji, P.O. Jabli, Tehsil Kasauli, Distt. Solan, H.P.

2. Smt. Veena Chauhan aged 41 years D.O.B. 19-09-1983 d/o Sh. Hari Ram, r/o H. No 1189, Chaman Colony, Village Dhanas, Chandigarh, U.T.

*Versus*

General Public

**Notice u/s 15 of the Special Marriage Act, 1954.**

An application under section 15 of the Special Marriage Act, 1954 has been received in this court from Sh. Satish Kumar aged 48 years D.O.B. 30-04-1977 s/o Sh. Durga Ram, r/o Village Sujji, P.O. Jabli, Tehsil Kasauli, Distt. Solan, H.P. (Bride groom) and Smt. Veena Chauhan aged 41 years D.O.B. 19-09-1983, d/o Sh. Hari Ram, r/o H. No 1189, Chaman Colony, Village Dhanas, Chandigarh, U.T. for the registration of their marriage u/s 15 of the Special Marriage Act, 1954. The applicants have further declared in their affidavits dated 09-07-2025 that they have solemnized their marriage with each other on 23-01-2003. Before taking further action in the said application, objections from the general public are invited for the registration of this marriage. The objections in this regard should reach this court on or before 28-09-2025, failing which the marriage shall be got registered as per the provisions of the law.

Issued on 28-08-2025 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-  
(MAHENDER PRATAP SINGH, HAS),  
*Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,*  
*Kasauli, District Solan (H. P.).*

---

**In the Court of Sub-Divisional Magistrate-cum-Marriage Officer, Kasauli,  
District Solan, H.P.**

1. Sh. Manoj Kumar aged 30 years D.O.B. 29-07-1995, s/o Sh. Vishav Jeet, r/o V.P.O. Jubber, Tehsil Kasauli, Distt. Solan, H.P.
2. Smt. Hem Lata aged 25 years D.O.B. 21-03-2000, d/o Sh. Dharam Dutt, r/o Village Kathanji, P.O. Naina Tikkar, Tehsil Pachhad, Distt. Sirmaur, H.P.

*Versus*

General Public

**Notice u/s 15 of the Special Marriage Act, 1954.**

An application under section 15 of the Special Marriage Act, 1954 has been received in this court from Sh. Manoj Kumar aged 30 years D.O.B. 29-07-1995, s/o Sh. Vishav Jeet, r/o V.P.O. Jubber, Tehsil Kasauli, Distt. Solan H.P. (Bride groom) and Smt. Hem Lata aged 25 years D.O.B. 21-03-2000, d/o Sh. Dharam Dutt, r/o Village Kathanji, P.O. Naina Tikkar, Tehsil Pachhad, Distt. Sirmaur, H.P. for the registration of their marriage u/s 15 of the Special Marriage Act, 1954. The applicants have further declared in their affidavits dated 18-03-2025 that they have solemnized their marriage with each other on 18-04-2024. Before taking further action in the said application, objections from the general public are invited for the registration of this marriage. The objections in this regard should reach this court on or before 28-09-2025, failing which the marriage shall be got registered as per the provisions of the law.

Issued on 28-08-2025 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-  
(MAHENDER PRATAP SINGH, HAS),  
*Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,  
Kasauli, District Solan (H. P.).*

---

**CHANGE OF NAME**

I, Mansa Devi w/o Late Sh. Baldev Singh, r/o Village Tangar, P.O. Kulhera, Tehsil Barsar, District Hamirpur (H.P.) declare that I have changed my name from Manasha Devi to Mansa Devi for all purposes in future. Please note.

MANSA DEVI  
w/o Late Sh. Baldev Singh,  
r/o Village Tangar, P.O. Kulhera,  
Tehsil Barsar, District Hamirpur (H.P.).

---

---

**CHANGE OF NAME**

I, Kashmiro Devi w/o Late Sh. Jashi Ram, r/o Village Chowki, P.O. Sera, Tehsil Nadaun, District Hamirpur (H.P.) declare that I have changed my name from Kashmiri Devi to Kashmiro Devi for all purposes in future. Please note.

KASHMIRO DEVI  
w/o Late Sh. Jashi Ram,  
r/o Village Chowki, P.O. Sera,  
Tehsil Nadaun, District Hamirpur (H.P.).

---

**CHANGE OF NAME**

I, Kipal Dev s/o Sh. Tula Ram, r/o Village Beyong Tatwa, P.O. Korag, Sub-Tehsil Haripurdhar, District Sirmaur (H.P.) declare that I have changed my name from Kipal Dev to Kapil Dev. All concerned may please note.

KIPAL DEV  
s/o Sh. Tula Ram,  
r/o Village Beyong Tatwa, P.O. Korag,  
Sub-Tehsil Haripurdhar, District Sirmaur (H.P.).

---

**CHANGE OF NAME**

I, Subhash Jasta (UIN 6709-4490-3457) s/o Sh. Sita Ram, r/o Village Jasvi, P.O. Koti Bounch, Tehsil Shillai, District Sirmaur (H.P.) declare that I have changed my name from Subhash (Previous Name) to Subhash Jasta (New Name). All concerned please note.

SUBHASH JASTA  
s/o Sh. Sita Ram,  
r/o Village Jasvi, P.O. Koti Bounch,  
Tehsil Shillai, District Sirmaur (H.P.).

---

**CORRECTION OF NAME**

I, Vikas Sharma s/o Sh. Prem Chand Sharma, r/o V.P.O. Hatwas, Tehsil Nagrota Bagwan, District Kangra (H.P.) declare that in Secondary School Examination, 2025, Roll No. 17280799, CBSE, Certificate father's name of Rehan Sharma is wrongly entered as Vikash Sharma and Mother's name is wrongly entered as Pallvi, above names may be corrected, father's name as Vikas Sharma and mother's name as Pallvee Sharma as per affidavit attested by Executive Magistrate, Nagrota Bagwan dated 12-08-2025.

VIKAS SHARMA  
*s/o Sh. Prem Chand Sharma,  
r/o V.P.O. Hatwas,  
Tehsil Nagrota Bagwan, District Kangra (H.P.).*

---

**CHANGE OF NAME**

I, Arvind Kumar s/o Sh. Bishamber Dass, r/o Village Hasol, P.O. Choukath, Tehsil Jawalamukhi, District Kangra (H.P.) declare that I have changed my minor son's name from Aditya Chauhan to Aditya Chouhan for all purposes in future. Please note.

ARVIND KUMAR  
*s/o Sh. Bishamber Dass,  
r/o Village Hasol, P.O. Choukath,  
Tehsil Jawalamukhi, District Kangra (H.P.).*

---

**CHANGE OF NAME**

I, Kiran Nagraj d/o Sh. Shiv Kumar, r/o Village Garjhindoo, P.O. Bhajotra, Tehsil Salooni, District Chamba (H.P.) declare that I have changed my name from Kiran Devi to Kiran Nagraj for all purposes in future. Please note.

KIRAN NAGRAJ  
*d/o Sh. Shiv Kumar,  
r/o Village Garjhindoo, P.O. Bhajotra,  
Tehsil Salooni, District Chamba (H.P.).*

---

---

**CHANGE OF NAME**

I, Sapna w/o Sh. Raj Kumar, r/o Village & P.O. Lower Boda, Tehsil Palampur, District Kangra (H.P.) declare that my son's Matriculation Certificate his name entered as Anmol incorrect. That his correct name is Anmol Ranaut. Concerned note.

SAPNA  
w/o Sh. Raj Kumar,  
r/o Village & P.O. Lower Boda,  
Tehsil Palampur, District Kangra (H.P.).

---

**CHANGE OF NAME**

I, Arvind Kumar s/o Sh. Bishamber Dass, r/o Village Hasol, P.O. Choukath, Tehsil Jawalamukhi, District Kangra (H.P.) declare that I have changed my minor son's name from Aryan Chauhan to Aryan Chouhan for all purposes in future. Please note.

ARVIND KUMAR  
s/o Sh. Bishamber Dass,  
r/o Village Hasol, P.O. Choukath,  
Tehsil Jawalamukhi, District Kangra (H.P.).

---

**CORRECTION OF NAME**

I, Reena Kumari w/o Sh. Rakesh Kumar d/o Sh. Ram Swaroop, r/o Village Dhalathaon, P.O. Kundlu, Tehsil Nalagarh, District Solan (H.P.) declare that my correct name is Reena Kumari as per documents but in Aadhar Card wrongly written as Meenu. Now I want to get my name corrected as Reena Kumari in Aadhar Card.

REENA KUMARI  
w/o Sh. Rakesh Kumar  
d/o Sh. Ram Swaroop,  
r/o Village Dhalathaon, P.O. Kundlu,  
Tehsil Nalagarh, District Solan (H.P.).

---

**CHANGE OF NAME**

I, Hari Ram s/o Sh. Dhani Ram, r/o Village Dati Ghamradu, P.O. Ghanagughat, Tehsil Arki, District Solan (H.P.) declare that I have changed my minor son's name from Devansh (Previous Name) to Devanshu (New Name). All concerned please may note.

HARI RAM  
s/o Sh. Dhani Ram,  
r/o Village Dati Ghamradu,  
P.O. Ghanagughat,  
Tehsil Arki, District Solan (H.P.).

**CORRECTION OF NAME**

I, Saloni w/o Late Sh. Papla d/o Late Girdhari Lal (Mother's Name Late Sheela Devi), r/o House No. 374, Sadar Bazar, Dagshai, Tehsil & District Solan (H.P.) declare that in my father's service record my name is wrongly entered as Saloni Masih. Correct it with my actual and correct name as per Aadhar Card and all other documents as Saloni. All concerned note.

SALONI  
w/o Late Sh. Papla  
d/o Late Girdhari Lal  
r/o House No. 374, Sadar Bazar,  
Dagshai, Tehsil & District Solan (H.P.).

**CORRECTION OF NAME**

I, Poonam Devi d/o Puran Chand, r/o House No. 198, Ward No. 10, Diara Sector, Tehsil Sadar, District Bilaspur (H.P.) declare that in my Aadhar Card No. 2338 0880 6243 my name wrongly entered as Ponama Devi. My correct name is Poonam Devi. All concerned note.

POONAM DEVI  
d/o Puran Chand  
r/o House No. 198, Ward No. 10, Diara Sector,  
Tehsil Sadar, District Bilaspur (H.P.).

**CHANGE OF NAME**

I, Gulshan Chauhan w/o Sh. Alok Chauhan aged about 44 years, r/o V.P.O. Shamathla, Tehsil Kumarsain, District Shimla (H.P.) Pin-172030, declare that I have changed my minor daughter's name from Anvi Chauhan (Previous Name) to Avni Chauhan (New Name). All concerned please may note.

GULSHAN CHAUHAN  
w/o Sh. Alok Chauhan  
r/o V.P.O. Shamathla,  
Tehsil Kumarsain, District Shimla (H.P.).